


गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

आवश्यक सूचना

शासनादेश संख्या-46/2021/846/आठ-1-21-01 विविध/2000 दिनांक 28 जून 2021 के माध्यम से पूर्व में शासनादेश संख्या-43/2020/1322/आठ-1-20-01 विविध/2000 दिनांक 30.09.2020 द्वारा ओटीएस0 योजना-2020 दिनांक 31.12.2020 तक लागू की गयी थी, को दिनांक 01 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक (01 माह) बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के तहत सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज जो सम्पत्तियों के आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा एवं किसी प्रकार का दण्ड ब्याज नहीं लिया जायेगा।

अतः गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी श्रेणी के बकायेदार आवंटियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अपने पक्ष में आवंटित सम्पत्तियों की बकाया धनराशि को वन टाईम सेटलमेन्ट योजना (ओटीएस0) के अनुसार भुगतान कर नियमानुसार विक्रय विलेख कराना सुनिश्चित करें। यदि बकायेदार आवंटियों द्वारा उक्त योजना के अर्न्तगत बकाये धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनके बकाये धनराशि की वसूली हेतु आर0सी0/बेदखली तथा आवंटित सम्पत्ति के पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। ओटीएस0 आवेदन पत्र आन लाइन की स्वीकार किये जायेंगे। आन लाइन आवेदन करने हेतु gdagkp.org या आवास बन्धु की वेबसाईट www.awasbandhu.in के होमपेज पर लिंक 2021 पर आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु मोबाइल नं0-9628372036, 9628372025, 9452110939 पर सम्पर्क कर सकते हैं।


7.7.21

सचिव,

गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।